खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार पात्र परिवारों की दो श्रेणिया है :-

- (1) अन्त्योदय अन्न योजना परिवार –

  (अ) अन्त्योदय श्रेणी (सदस्य संख्या 06 तक)

  (ब) बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी (सदस्य संख्या 06 से अधिक)

- (2) प्राथमिकता परिवार – (बीपीएल + 24 अन्य श्रेणियां)

01– **अन्त्योदय अन्न योजना परिवार** :– अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारो को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(अ). अंत्योदय श्रेणी (06 अथवा 06 से कम सदस्य)
(ब). बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी (06 से अधिक सदस्य) के रूप में विभाजित किया गया है।

अ. अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 06 अथवा 06 से कम है अर्थात् ''**अन्त्योदय श्रेणी**'' को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (30 कि.ग्रा. गेहूँ + 05 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति परिवार के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

ब. अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 06 से अधिक है अर्थात जो ''**बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी**'' के अंतर्गत चिन्हित है, उन्हे प्राथमिकता परिवार की श्रेणियो की तरह 05 कि.ग्रा खाद्यान्न (04 कि.ग्रा. गेहूँ + 01 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति सदस्य के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

02- **प्राथमिकता परिवार :-** प्राथमिकता परिवार के रूप में बीपीएल कार्डधारी एवं अन्य 24 श्रेणियों के चिन्हित श्रेणियों के परिवारो को 05 कि.ग्रा खाद्यान्न (04 कि. ग्रा. गेहूँ + 01 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति सदस्य के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

- बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार

अन्य 24 श्रेणियां :-

1 म.प्र. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक ।
2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही ।
3 अनाथ आश्रम निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चें।
4 नि:शुल्क संचालित वृद्धाश्रमें में निवासरत वृद्धजन ।
5 ग्रामीण क्षैत्रों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन , खेतिहर मजदूर ।
6 ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पटटेधारी ।
7 शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रो में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
8 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण में पंजीकृत व्यक्ति।
9 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
10 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
11 रेलवे में पंजीकृत कुली।

12 मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

13 बन्द पड़ी मिलो में पूर्व नियोजित श्रमिक (बन्द मिलो में से मात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिको को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं।

14 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

15 समस्त भूमिहीन कोटवार- (ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों) ।

16 कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

17 नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत केशशिल्पी।

18 पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

19 एच0आई0व्ही0 (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो)।

20 मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार।

21 मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार।

22 प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।

23 ओला-पाला से प्रभावित परिवार।

24 पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करे

उक्त श्रेणी के सभी व्यक्ति मुख्य मंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्राप्त करने के हकदार है तथा वह योजना का लाभ लेने हेतु अपने क्षेत्र के रोजगार सहायक/कनिश्ठ आपूर्ति अधिकारी से खाद्यन्न पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते है।

यदि आप उक्त श्रेणी में पत्र है लाभ नही मिल रहा है तो क्या करे?

- यदि आवेदक अनूसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत समग्र पोर्टल पर पंजीकृत है तथा अभी तक खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्राप्त नही हुई है तो वह फार्म '' अ'' भरे तथा अन्य पात्रता श्रेणी में पात्र है तो वह फार्म ''ब' भर कर पंचायत के रोजगार सहायक/सचिव को उपलब्ध करावे। ताकि उनका खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्राप्त हो सके